

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9523

दिनांक - 05/12/25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गिरधारी पुत्र मंगलाराम वगैराह जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 समदादेवी पत्नि नेहरुराम जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 421/2025

दिनांक- 28/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 246/148 रकबा 6.2079 हैक्टेयर, खसरा संख्या 249/150 रकबा 4.6053 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 05.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9524 - 9527

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गिरधारी पुत्र मंगलाराम वगैराह जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण समदादेवी पत्नि नेहरुराम जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर